

**बिहार सरकार**  
**वाणिज्य-कर विभाग**  
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/अ0-03-17/2004

पटना, दिनांक:—

श्री अजिताभ मिश्र, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (41वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 04.08.2026 से 19.08.2026 तक 16 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री मिश्र के अवकाश लेखा में (300-16=284) दो सौ चौरासी दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,  
वाणिज्य-कर विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0-03-17/2004 3358 पटना, दिनांक:— 01/09/26

प्रतिलिपि :— वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/एच0 आर0 एम0 एस0 (एडमीन), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर उक्त अवकाश के पश्चात् शेष आदेयता की अद्यतन प्रविष्टि कर लेंगे/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/ श्री अजिताभ मिश्र, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (41वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन अवकाश उपभोग के उपरान्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

सरकार के उप सचिव,  
वाणिज्य-कर विभाग  
बिहार, पटना।